राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1,अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर।

क्रमांक एफ.11(76)( )अ.नि./सान्याअवि/2019/ 35191 जयपुर, दिनांक: 14 जून, 2019

आदेश

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 यथा संशोधित 2015 एवं नियम 1995 यथा संशोधित 2016 के 12(4) के अन्तर्गत पीडित/आश्रित को राहत राशि देने हेतु निर्मित विभागीय वेबपोर्टल (Financial Assitant for SC/ST Atrocity Prevention Webportal) पर सरलीकरण हेतु निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

क्र.स.	ऑनलाइन आवेदन में वर्तमान प्रावधान	नवीन प्रावधान
1	प्रथम सूचना रिपोर्ट, अन्तिम रिपोर्ट (चालान/एफ.आर.), न्यायिक विचारण सामाप्ति, पीडित/आश्रित से सम्बन्धित सूचना पुलिस थाने द्वारा अपलोड किये जाते हैं।	अत्याचार निवारण अधिनियम अन्तर्गत प्रकरण दर्ज होते ही स्वतः उक्त वेबपोर्टल पर सी.सी.टी.एन.एस. पोर्टल के माध्यम से इन्टीग्रेट किया जाएगा।
2	प्रथम सूचना रिपोर्ट, चालान, न्यायिक विचारण समाप्ति, पीडित/आश्रित से सम्बन्धित सूचना पुलिस थाने द्वारा अपलोड किये जाते हैं, एवं इनसे सम्बन्धित सूचना में जिलाधिकारी द्वारा आक्षेप लगाने पर सम्बन्धित थाने को प्रकरण पोर्टल पर भेजा जाता है, फिर थाने द्वारा आक्षेप की पूर्ति कर पुनः जिलाधिकारी सान्याअवि को भेजी जाती है।	प्रथम सूचना रिपोर्ट, चालान, न्यायिक विचारण समाप्ति पर पीडित/आश्रित से सम्बन्धित सूचना (पीडित/आश्रित का नाम, सम्बन्ध, मोबाईल नम्बर, बैंक खाता एवं आई.एफ.एस.सी. कोड) एवं अधिनियम धारा में परिवर्तन करने का अधिकार थाने के साथ–साथ जिलाधिकारी भी अधिकृत होंगे। यह कार्य संबंधित जिलाधिकारी के स्तर पर OTP के माध्यम से सत्यापन के बाद ही किया जाएगा। थानाधिकारी द्वारा प्रथम सूचना दर्ज करते समय सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम एवं पीडित से सम्बन्ध का इन्द्राज भी पोर्टल पर किया जाएगा। परन्तु यह सूचना अंकित किया जाना आवश्यक नहीं होगा।
3	जिलाधिकारी के पास यदि एफ.आई.आर./चालान/न्यायिक विचारण समाप्ति पोर्टल पर असीमित समय तक लम्बित रहती है, परन्तु नियम अन्तर्गत पीडित/आश्रित को सात दिवस में राहत राशि प्रदान करने का प्रावधान है।	जिलाधिकारी के पास एफ.आई.आर./चालान/न्यायिक विचारण समाप्ति तीन दिवस तक लम्बित रहने पर Alert Sms/E-mail जाएगा 5 दिवस से अधिक होने पर स्वतः ही सम्बन्धित अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट के स्तर पर अग्रेषित हो जाएगा।
4	अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट द्वारा पोर्टल से स्वीकृति जनरेट कर दी जाती है अगर जिला कलक्टर के हस्ताक्षर से पूर्व स्वीकृति में संशोधन करना है तो निदेशालय को पत्र के माध्यम से स्वीकृति रिवर्ट करने हेतु प्रकरण भेजा जाता है।	चूंकि जिला कलक्टर नियमानुसार स्वीकृति जारी करने के लिए स्वयं ही अधिकृत है। अतः स्वीकृति को भुगतान से पूर्व संशोधित करने/ रिवर्ट करने/रिवर्ट करने के पश्चात् प्रकरण जिलाधिकारी और थानाधिकारी के स्तर पर वापस संशोधन हेतु भेजने का प्रावधान भी जिला कलक्टर/ अतिरिक्त जिला कलक्टर के स्तर पर दिया जाएगा। यह कार्य करते समय OTP के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा

5	पीडित/आश्रित से संबंधित सूचना भामाशाह कार्ड से लेने का कोई प्रावधान नहीं हैं।	यदि पीडित/आश्रित के पास भामाशाह कार्ड उपलब्ध है तो पीडित/आश्रित से संबंधित सूचना भामाशाह कार्ड से लिया जाएगा। भामाशाह कार्ड से लिया गया बैंक खाता यदि जनधन बैंक खाता है तो उसे जिलाधिकारी और थानाधिकारी के स्तर से परिवर्तित किया जाएगा।

अतः योजनान्तर्गत पीडित/आश्रितों को राहत राशि स्वीकृति नियमों में किये गये सरलीकरण के आदेश पोर्टल पर क्रियान्विति से प्रभावी होगें। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(सांवरमल वर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ.11(76)( )अ.नि./सान्याअवि/2019/ 35182-300 जयपुर, दिनांक: 14 जून, 2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक मा0 मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक मा0 राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
4. निजी सचिव निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0 जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सिविल राईट) पुलिस मुख्यावास ।
6. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट .....
7. जिला पुलिस अधीक्षक .....
8. निजी सचिव अतिरिक्त निदेशक, (अत्याचार निवारण,) सान्याअवि जयपुर ।
9. संयुक्त निदेशक(आई.टी.), सान्याअवि मुख्यावास को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश के अनुसार Financial Assitant for SC/ST Atrocity Prevention Webportal पर प्रावधान किया जाकर अवगत करावें।
10. उप/सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ... ।

(द्वारका प्रसाद गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (अत्याचार निवारण)